

THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 18, 1976/BHADRA 27, 1898 [PART II—SEC. 3(i)]

[भाग II]

स्थानीय वर्ती किए
जाने वाले अधिकारी
के बिंदु परिवहन आगे
मोर शैलीके बढ़ताएं
प्रोत्तरति की दशा में
लागू होंगी

परिवहन की भर्ती की पद्धति:
अवधि, यदि कोई क्या भर्ती संघर्ष होगी या
प्रोत्तरति द्वारा या स्थानीय वर्ती द्वारा
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा ऐसे
जाने वाली रिक्तियों की
प्रतिशतता

प्रोत्तरति/प्रतिनियुक्त/स्थानीय वर्ती
भर्ती की दशा में वे पृष्ठे जिनमें
प्रोत्तरति समिति हो तो उसका
उचित वर्तनक

यदि कोई विवरण वे परिवहन विभाग
में भर्ती करने के लिए नहीं
मोक्ष देव, आगे
परिवहन विभाग वाले

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[संग्रह 120/18/8/75-एव.]

वी. रमेश्वर अवर, मन्त्री

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 1st September, 1976

शास्त्री

G.S.R. 1338.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group C posts in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital (Group C Posts) Recruitment Rules, 1976.

प्रधानमंत्री

मंत्री

१

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications :—No person,—

मंत्री

१

१

३

४

५

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

४६

४७

४८

४९

५०

५१

५२

५३

५४

५५

५६

५७

५८

५९

६०

६१

६२

६३

६४

६५

६६

६७

६८

६९

७०

७१

७२

७३

७४

७५

७६

७७

७८

७९

८०

८१

८२

८३

८४

८५

८६

८७

८८

८९

९०

९१

९२

९३

९४

९५

९६

९७

९८

९९

१००

१०१

१०२

१०३

१०४

१०५

१०६

१०७

१०८

१०९

११०

१११

११२

११३

११४

११५

११६

११७

११८

११९

१२०

१२१

१२२

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१३०

१३१

१३२

१३३

१३४

१३५

१३६

१३७

१३८

१३९

१४०

१४१

१४२

१४३

१४४

१४५

१४६

१४७

१४८

१४९

१५०

१५१

१५२

१५३

१५४

१५५

१५६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१६९

१७०

१७१

१७२

१७३

१७४

१७५

१७६

१७७

१७८

१७९

१८०

१८१

१८२

१८३

१८४

१८५

१८६

१८७

१८८

१८९

</

other age and period of recruitment, if any
qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion.

Method of recruitment
whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of Recruitment by D.P.C., circumstances in which exists, what is U.P.S.C. is to be considered in making recruitment.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. A 12018/8/75-H]

V. RAMACHANDRAN, Under Secy.

नई विली, 6 नियम 18, 1976

ग्रा० का० नि० 1339.—गविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यान्दूराया मानसिक रोग अस्पताल (शेणी III और शेणी IV पर भर्ती) नियमावली, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए नियमित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन शक्तियों का नाम मानसिक रोग अस्पताल, रांची (द शेणी III और शेणी IV पर भर्ती) नियमावली, 1976 है।
- (2) गे सरकारी राजावास में प्रकाशित होने के तारीख गे लागू होगे।
2. मानसिक रोग अस्पताल, रांची (शेणी III और शेणी IV पर भर्ती) नियमावली, 1959 में (जिससे इसके प्रत्यानु उत्तर नियम कहा गया है) "शेणी III और शेणी IV" शब्द और अंकों के स्थान पर, जहाँ भी वे शाली हों, लागू: "वर्ग 'ग'" और "वर्ग 'ब'" शब्द और अंक स्थान पर लागू होना।
3. उत्तर नियमावली जो सनी में कम संख्या 18 ग्रीष्म उमरों संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर नियमित उम संख्या और प्रविष्टियां रख ली जाएं, निम्न :—

अनुच्छेद

मानसिक रोग अस्पताल, रांची में उत्तर शेणी नियमिक के पदों में संबंधित भर्ती नियमावली

पदों का नाम	पदों की वेतनगणना	पदों की वेतनगणना	पदों की वेतनगणना	पदों की वेतनगणना	पदों की वेतनगणना
इयाग वर्गिकरण, क्या वेतनगणना	यह राजनीति है।	ग्रथवा अग्रजातिनि,	संघी शाली दारा	वार्ग वार्ग	वर्गवार्ग एवं स्थानान्तरण द्वारा
वर्ग 'ग'	वर्ग 'ब'	वर्ग 'ब'	वर्ग 'ब'	वर्ग 'ब'	उपराजनीता
परिवर्तन, अनुसंचितीय	है या अननुसंचितीय	है			(फिटनेस)

2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर शेणी नियमिक केन्द्रीय नियमिक वेतन, 330-10-380-द०रें०	वर्ग 'ग'	वर्ग 'ब'	वर्ग 'ब'	वर्ग वर्ग वर्ग	वर्ग वर्ग वर्ग	वर्ग वर्ग वर्ग	वर्ग वर्ग वर्ग

वर्ग 'ग' अग्रज- 12-500-द०रें० परिवर्तन, अनुसंचितीय 15-560 रुपये

केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवेश की अवधि, यदि क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले वह फ्रेड/स्थित क्या हैं व्यवसितों के लिए कोई हो	अकिलीयों के लिए विविध आयु जिनमें प्रोवेन्चि/स्थानान्तरण और अंकिलीय अन्तराल प्रोवेन्चि किया जाना है स्थानान्तरण की दशा में लागू होती है
प्रोवेन्चि अंकिलीय अन्तराल	स्थानान्तरण की दशा में लागू होती है

10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रवर्द्ध शेणी नियमिक/वर्गांची/ गण्डारी।

[ग्रा० नि० 12018/4/75 ग्रा० वी० टी०]

ग्रा० शास्त्रियागत, उप सचिव